सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर
पीठासीन अधिकारी – श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2017

1– श्री शिवरतन भूतडा उम्र करीबन 64 साल पुत्र स्व0 श्री जयनारायण जी भूतडा जाति माहेश्वरी निवासी तेजा चौक हाल प्रताप कोलोनी, ब्यावर जिला–अजमेर
2– श्रीमति गायत्रीदेवी उम्र करीबन 53 साल पत्नि श्री रामप्रसाद जी कुमावत
3– श्री रामप्रसाद उम्र करीबन 58 साल पुत्र स्व0 श्री उदयराम जी कुमावत
निवासीयान जी–1/14 रीको द्वितीय गायत्रीनगर अजमेर रोड, ब्यावर

————प्रार्थीगण

ब ना म

1– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
2– राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर राज0
3– सनातन धर्म महाविद्यालय टॉडगढ रोड, ब्यावर बजरिये प्राचार्य

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 01–05–2019

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए कि मौजा फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर में वर्णित साबिक खसरा नंबर 754 रकबा 06–11–00 हाल खसरा नंबर 883 रकबा 02–00–00, 884 रकबा 03–04–00, 885 रकबा 01–07–00 साबिक खसरा नंबर 758 रकबा 09–01–00 हाल खसरा नंबर 885 रकबा 08–06–00, 887 रकबा 00–15–00 भूमियां स्थित है। जीवराज जी सांखला दत्तक पुत्र श्री तेजमल जी जाति ओसवाल निवासी ब्यावर उपरोक्त भूमियो के खातेदार काश्तकार थे उनसे तत्कालीन सरकार ने राजकीय सनातन धर्म कॉलेज, ब्यावर के लिये साबिक खसरा नंबर 758 में से रकबा 18 बिस्वा एंव साबिक खसरा नंबर 754 में से रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल मिलाकर 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 31.03.1956 के द्वारा इस शर्त पर खरीदी गई थी कि उक्त खरीदी गई भूमियो में से 16 फीट चौडी सडक पूरब से पश्चिम 423 फीट तक साबिक खसरा नंबर 754 में से छोडेंगे। उक्त खरीदी गई भूमियो के पाडौस उत्तर में प्राईवेट फुटपाथ, पूरब में टॉडगढ रोड, दक्षिण में कॉलेज की जमीन व पश्चिम में कॉलेज की जमीन है। उक्त 16 फीट चौडी पूरब से पश्चिम 423 फीट तक खानंगी गली के रूप में कॉलेज एंव उक्त गणपति कॉलोनी के निवासीयो के लिये उपयोग हेतू रहेगी। उक्त बेची गई भूमि की लम्बाई उत्तर में 141 गज (423 फीट) व दक्षिण में 86 गज (258 फीट) व पूरब में 119 गज (357 फीट) तथा पश्चिम में 115 गज (345 फीट) है जो बाद में अजमेर राज्य सरकार में विलिहन हो गया इसलिये राजस्थान सरकार को भी पक्षकार बनाया जा रहा है। खतौनी जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर 754 रकबा 06–11–00 व साबिक खसरा नंबर 758 रकबा 09–01–00 पूर्व खुदकाश्त मालिक चुन्नीलाल पुत्र घासी कुम्हार चुनपच के नाम दर्ज रहा तथा कॉलेज को बेचने के बाद शेष साबिक खसरा नंबर 754 मिन रकबा 01–01–00 व साबिक खसरा नंबर 758 मिन रकबा 03–04–00 मुसम्मात बदनकंवर बैवा मिठालाल को बेचने के बाद खातेदारी में दर्ज रही और संवत 2024 से 2027 की जमाबंदी में सनातन धर्म कॉलेज प्रभारी सेक्रेटरी सोहनलाल पुत्र बिहारीलाल राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के नाम साबिक खसरा नंबर 758 मिन रकबा 00–18–00 व 754 मिन रकबा 04–16–00 दर्ज हुई उसके पश्चात हाल सेटलमेंट चालू हो गया जो संवत 2028 से 2041 से लेकर चलता रहा और इस

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

दौरान नई जमाबंदीया नही बनी बल्कि सेटलमेंट फाईनल होकर उनकी वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में बनी तब साबिक खसरा नंबर 754 व 758 से बने हाल खसरा नंबर 883 रकबा 02–00–00 व हाल खसरा नंबर 884/1 रकबा 03–04–00 व हाल खसारा नंबर 885 रकबा 12–15–00 पूरी जमीन सनातन धर्म राजकीय कॉलेज के नाम दर्ज हो गई जिसका हाल खसरा नंबर 883 रकबा 02 बीघा + 884/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा+885 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा कुल 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि गलत व गैर कानूनी रूप से राजकीय सनातन धर्म कॉलेज ब्यावर के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त साबिक खसरा नंबर में से राजकीय सनातन धर्म कॉलेज के नाम से केवल मात्र 5 बीघा 14 बिस्वा जमीन ही खरीदी गई थी उसके स्थान पर 17 बीघा 19 बिस्वा दर्ज हो गई जो गलत इन्द्राज सेटलमेंट में हो चुके है, जबकि सेटलमेंट अधिकारीयो को पूर्व जमाबंदी में जो इन्द्राज थे उन्ही को सेटलमेंट की बनी नई जमाबंदी में इन्द्राज करना चाहिये था जब तक की रकबा बढने बाबत उक्त कॉलेज और जमीन खरीद लेती अथवा किसी निर्णय व डिक्री का फैसला उसके हक में हो जाता या सक्सेशन द्वारा ही इन्द्राज बदले जा सकते है जबकि सनातन धर्म कॉलेज ने 5 बीघा 14 बिस्वा जमीन से ज्यादा ना तो उपरोक्त साबिक खसरा नंबर में से जमीन खरीदी और ना ऐसा बेचान पेश किया ना कोई निर्णय हुआ ना सक्सेशन से प्राप्त होना प्रतीत होता है। इसलिये वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज अवेध व प्रभावशून्य गलत है, इसलिये माननीय न्यायालय को ही इन्द्राजो में दुरूस्ती करने का क्षैत्राधिकार है। स्व0 जीवराज जी सांखला ने अपने जीवनकाल में मैसर्स गणपति कॉलोनाईजर ब्यावर को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनाक 05.10.1979 को उक्त पुराना खसरा नंबर 754 व 758 की शेष भूमियो को बेचान की उसका नाप पूरब से पश्चिम बजानिब उत्तर 578 फीट व दक्षिण की तरफ 764 फीट तथा उत्तर से दक्षिण बनाजिब पूरब की तरफ 30 फीट एंव पश्चिम की तरफ जयनारायण भराडिया के पीछे 125 फीट बेचान की जिसके पाडौस पूरब में आम सडक टॉडगढ रोड नेशनल हाईवे मार्ग ब्यावर तथा जयनारायण जी भराडिया का भट्टा तथा 8 फीट चौडी खरीददार व जयनारायण भराडिया के शामलात की गली, पश्चिम में प्यारेलाल जी की बगीची वाली जायदाद, उत्तर में श्रीमति बदनकंवर बैवा मिठालाल व रोशनलाल सांखला की निजी अचल सम्पत्ति व दक्षिण में 423 फुट की लम्बाई तक 32 फुट चौडी खानगी गली जिसमें खरीददार फर्म व सनातनधर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर को आने जाने का अधिकार है, तथा शेष भाग में सनातन धर्म कॉलेज के स्टाफ क्वाटर्स। इस प्रकार से गणपति कॉलोनाईजर ने उपरोक्त खरीदशुदा भूमियो में रास्ते की जमीन को छोडकर शेष भाग में स्थित आवासीय कॉलोनी गणपति के नाम से स्थापित की और विद्यमान प्लोटो को बेचान किया उनमें से श्रीमति लीलादेवी उपाध्याय ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 26.10.2007 को भूखण्ड संख्या 1–ए व भूखण्ड संख्या 1–बी संयुक्त रूप से प्रार्थी संख्या 2 श्रीमति गायत्रीदेवी से पूर्ण प्रतिफल लेकर बेचान कर दिया तथा प्रार्थी संख्या 3 श्री रामप्रसाद कुमावत ने श्रीमति लीलादेवी, श्रीमति संगीता, श्रीमति सरिता व्यास से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 26.10.2007 को भूखण्ड संख्या 2 पूर्ण प्रतिफल देकर खरीदे किये और उनके जरिये उनको उक्त दोनो भूखण्डो को कब्जा दिया गया जिनका कब्जा आज तक चला आ रहा है जिसमें गायत्रीदेवी व रामप्रसाद जी ने नगरपरिषद, ब्यावर से नक्शा पास करवाकर कारतामिरात कर नोहरा व कमरा आदि बना रखा है। इसी प्रकार से उक्त कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 13 को जरिये

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.04.1988 को तथा भूखण्ड संख्या 17 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 12.01.1989 के प्रार्थी संख्या 1 ने खरीद किया जिस पर तब से प्रार्थी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है, और उन्होने नगरपरिषद, ब्यावर से निर्माण स्वीकृति हांसिल कर चार दीवारी का निर्माण करा दिया था किन्तु वह तोड दी गई उसके बाद प्रार्थी संख्या 1 ने वापीस निर्माण 2017 मे चार दीवारी का करवाकर फाटक लगा दी है, जो भूखण्ड मैसर्स गणपति कॉलोनी की भूमि हाल खसरा नंबर 885 से बने हुये है, उसके आगे दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम 32 फिट चौडी रास्ते के लिये भूमि विद्यमान है। जबकि उक्त सडक की भूमि को मैसर्स गणपति कोलोनाईजर महाविद्यालय आदि ने नगरपरिषद, ब्यावर को समर्पित नही की है, जो सडक पूरब से पश्चिम 423 फिट लम्बाई में है, किन्तु सेटलमेंट मे जो नई वर्किंग जमाबंदी बनी है, उसमें उक्त खसरा नंबर 883 व 884, 885 में से जो रकबा बेचान गया है, उसके स्थान पर ज्यादा रकबा अंकित कर दिया गया है, उसका बेजा फायदा अप्रार्थी संख्या 3 राजकीय कॉलेज वाले उठाने के लिये आमादा है, और वे प्रार्थीगण के भूखण्डो में तोडफोड करने की धमकीया भी दे चुके है, कि हमारा रकबा ज्यादा लिखा हुआ इसलिये तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो क्योकि साबिक नक्शा ट्रेस सन् 1942–43 नया नक्शा ट्रेस सन् 1971 का भी आपस में मिलान नही खा रहा है, जिनसे प्रार्थीगण ने भूखण्ड खरीदे है उनके पूर्व मालिक गणपति नगर व उनके पूर्व मालिक जीवराज सांखला का नाम वर्तमान रिकार्ड में नही आया इसलिये प्रार्थीगण ने तहसीलदार जी ब्यावर को दिनांक 27.04.2017 को दुरूस्ती करने के लिये कहां तो उन्होने न्यायालय में चाराजोही करने के लिये इसलिये इस माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्किंग जमाबंदी 2041 में जो साबिक खसरा नंबर 754 व 758 के हाल खसरा नंबर 883, 884, 885 व 887 का पूरा रकबा जो सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के खाते में दर्ज कर दिया गया है, उसे निरस्त किया जावे तथा हाल खसरा नंबर 883, 884 पूरा रकबा कॉलेज के नाम दर्ज किया जावे तथा हाल खसरा नंबर 885 में से 10 बिस्वा में 16 फीट चौडी सडक लम्बाई में पूरब से पश्चिम 423 फिट तक सडक के नाम दर्ज की जावे तथा शेष 10 बिस्वा में से जो जमीन बचती है, वह कॉलेज के नाम दर्ज की जावे तथा शेष रकबा 885 व 887 की भूमियां गणपित कौलोनी के खरीददार प्रार्थीगण व भूखण्ड होल्डर के नाम दर्ज की जावे उसमें से 16 फिट चौडी भूमि पूरब टॉडगढ रोड से पश्चिम तक 423 फीट तक की भूमि कॉलोनी की और से रास्ते के लिये दर्ज की जाकर कुल रास्ताा 32 फीट चौडा व 423 फीट लम्बा प्राईवेट रास्ता कॉलेज व गणपति कॉलोनी के नाम दर्ज किया जाकर दुरूस्ती फरमाई जावे और शेष भूमि 885 की गणपति कोलोनी के खरीददार व भूखण्ड होल्डर के नाम दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की और से पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि वर्तमान भू अभिलेख में वाद पत्र वर्णित भूमि में से खसरा नंबर 883, 884/1, 885 रकबा क्रमशः प्रार्थना पत्र अनुसार 883 रकबा 02–00–00, 884 रकबा 03–04–00, 885 रकबा 09–13–00 है, एंव वर्तमान

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

भू अभिलेख के अनुसार रकबा क्रमशः खसरा नंबर 883 रकबा 02–00–00, 884/1 रकबा 03–04–00, 885 रकबा 12–15–00 है जो कि सनातन धर्म कॉलेज आनरेरी सेकेट्री मोहनलाल पुत्र बिहारीलाल गर्वमेंट कॉलेज ब्यावर के नाम पर जमाबंदी चौसाला संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 370 में इन्द्राज है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है बाबत् रिकार्ड शुद्धि हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया है व वर्तमान भू अभिलेख से मिलान नही खाता है, तथा वर्तमान भू अभिलेख की प्रविष्टियो से भिन्न प्रदर्शित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रिकार्ड मेल नही खाने के कारण खारिज योग्य है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रविजयसिंह उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में संबंधित भूमि आबादी एंव नगरीय क्षैत्र की भूमि होने के कारण उक्त भूमि से संबंधित प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार नही होने के कारण खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि से संबंधित सिविल न्यायालय में मुकदमा संख्या 246/91 व 38/2010 उनवान गणपति कॉलोनाईजर बनाम भारत संघ तथा जिसकी अपील संख्या 27/2009 दोनों ही क्रमशः दिनांक 28.07.2009 तथा दिनांक 28.08.2012 को माननीय सिविल जज तथा अपील जिला न्यायाधीश ब्यावर ने खारिज की है। उक्त भूमि से संबंधित ही एक अन्य प्रकरण संख्या 07/1992 उनवान शिवरतन भूतड़ा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य माननीय सिविल न्यायाधीश ब्यावर में विचाराधीन रहा जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.11.2017 को खारिज कर दिया जिसकी अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 ब्यावर में विचाराधीन है। जिसकी उक्त प्रार्थीगण को भली प्रकार से जानकारी में है। एक ही मामले से संबंधित प्रकरण दो स्थानों पर नहीं चलाया जा सकता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का खारिज़ किये जाने का जवाब प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि करेक्शन ऑफ ऐन्ट्री का मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार इसी न्यायालय को धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रदान किया हुआ है। उक्त भूमि से संबंधित सिविल न्यायालय में मुकदमा संख्या 246/91 व 38/2010 उनवान गणपति कॉलोनाईजर बनाम भारत संघ में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे जबकि प्रार्थीगण शिवरतन भूतड़ा ने उक्त भूमियां कमलकिशोर पुत्र मिट्ठनलाल जाति अग्रवाल सर्राफ से प्लॉट संख्या 17 जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 10.01.21989 को ही खरीद लिया था तथा रामकिशोर अग्रवाल पुत्र मिट्ठनलाल से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 23.04.1988 में खरीद लिया था। जबकि उक्त दावा 246/91 का है, और दूसरा 38/2010 का है। उसमें पक्षकार नहीं थे इसलिये वे इस निर्णय से बाध्य नहीं है। इसी प्रकार से अन्य प्रकरण संख्या 07/1992 उनवान शिवरतन भूतड़ा बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय ब्यावर में विचाराधीन था जिसमें निर्णय दिनांक 15.11.2017 को खारिज़ होना बताया है, जिसकी अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 ब्यावर में विचाराधीन है। वह केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का दावा है इसलिये इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी है, जिसका निर्णय होना बाकी है। उपरोक्त रेवेन्यू रेकार्ड में गलत एन्ट्री का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है और माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 1, ब्यावर के निर्णय व डिक्री की अपील में उपरोक्त गलत एन्ट्रीज के तथ्यों को मानते

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

हुए राजस्व रेकार्ड की धारा 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया है, इसलिये उक्त तथ्य लागू नहीं होते हैं। इस प्रकारण में बताया गया है, कि जीवराज सांखला ने तत्कालीन सरकार को राजकीय सनातन धर्म कॉलेज ब्यावर के लिए साबिक खसरा नम्बर 758 कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा में से मात्र 18 बिस्वा व साबिक खसरा संख्या 754 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में से मात्र रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल मिलाकर 5 बीघा 14 बिस्वा भूमियां ही जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 31.03.1956 के द्वारा बेचान की गई थी जिसमें पाडौस बताकर व नापचौकत बताकर बेचान की गई थी और सनातन धर्म महाविद्यालय के खाते में उक्त बेची गई जमीन ही दर्ज होती रही किन्तु सेटलमेंट सवत् 2028 से 2041 तक चलता रहा और फाईनल वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में बनी तब 5बीघा 14 बिस्वा के स्थान पर 17 बीघा 19 बिस्वा इस सेटलमेंट में गलत दर्ज उक्त कॉलेज के नाम हो गई उसके लिये करेक्शन ऑफ ऐन्ट्री का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है, इसलिये बाकी जमीन जीवराज सांखला व गणपति कॉलोनी की रही जिनसे कि प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा खरीद की है, इसलिये वे करेक्शन कराने के अधिकारी हैं। उसमें जमीन यदि आबादी में भी दर्ज हो जावे या अन्य किस्म में भी गलत दर्ज हो जावे या नहीं होवे तो भी करेक्शन ऑफ ऐन्ट्री का क्षेत्राधिकार धारा 136 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस न्यायालय को ही है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज़ किये जाने बाबत् व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज़ करने का निवेदन किया जिसमें समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 1995 राज0 पेज 619 ख्याली वगैरह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एंव डी0एन0जे0 1995 राज0 पेज 540 पुसाराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण ने कथन किया है, कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण से खारीज किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सेलडीड दिनांक 30 मार्च 1956 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। बेचाननामा दिनांक 05 अक्टूबर 1976, 10 जनवरी 1989, 23 अप्रैल 1988, 26 अक्टूबर 2007 तथा बेचाननामा दिनांक 26 अक्टूबर 2007 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 754 रकबा 06–11–00 जिसके हाल वर्तमान खसरा संख्या 883 रकबा 02–00–00, 884 रकबा 03–04–00 व 885 रकबा 01–07–00 बने हैं तथा साबिक खसरा संख्या 758 रकबा 09–01–00 जिसके हाल वर्तमान खसरा संख्या 885 रकबा 08–06–00 व 887 रकबा 00–15–00 बने होना अंकित है। खतौनी जमाबन्दी फसली सन् 1350 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 82 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त साबिक खसरा संख्या 754 रकबा 06–11–00 व 758 रकबा 09–01–00

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

चुन्नीलाल वल्द घासी कौम कुम्हार चुनपच साकिन नयानगर खुदकाश्त मालिक दर्ज है। ग्राम फतेहपुरिया दोयम की सेटलमेंट से पूर्व की अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2024 से 2027 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 125 में अन्य खसरान् के साथ अंकित वादग्रस्त खसरा संख्या 754 मि. 01–01–00 व 758 मि. रकबा 03–19–00 मुस्मात बदनकंवर बेवा मिठालाल महाजन साकिन नयानगर के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2024 से 2027 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 77 में अन्य खसरान् के साथ अंकित वादग्रस्त खसरा संख्या 754 मि. 00–14–00 व 758 मि. रकबा 04–09–00 जीवराज मुतबन्ना तेजमल महाजन साकिन नयानगर के नाम दर्ज है। ग्राम फतेहपुरिया की जमाबंदी संवत् 2041 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 189 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त हाल वर्तमान खसरा संख्या 883 रकबा 02–00–00, 884/1 रकबा 03–04–00, 885 रकबा 12–15–00 सनातन धर्म कॉलेज मजकूर के नाम दर्ज है। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने अपने जवाब प्रार्थना के समर्थन में ग्राम फतेहपुरिया दोयम की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रस्तुत की है जिसमें खाता संख्या 370 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 883 रकबा 02–00–00, 884/1 रकबा 03–04–00, 885 रकबा 12–15–00 सनातन धर्म आनरेरी सेक्रेट्री मोहनलाल वल्द बिहारीलाल गर्वमेन्ट कॉलेज ब्यावर के नाम दर्ज है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस के आधार पर यह पाया गया है कि बेचाननामा दिनांक 05 अक्टूबर 1979 में विक्रेता जीवराज सांखला व क्रेता फर्म मैसर्स गणपति कॉलोनाईजर्स जरिये भागीदारान् श्री सुरेशचन्द, श्रीमती सरस्वती ने स्थानीय नगर परिषद ब्यावर ने साहिब म्यूनिसिपल नम्बर 8/533 कायम होना अंकित है तथा निजी सम्पत्ति होना अंकित किया है। इसी प्रकार बेचाननामा दिनांक 10 जनवरी 1989 में विक्रेता श्री कमल किशोर व क्रेता श्री शिवरतन भूतड़ा ने गणपति कॉलोनी निज्द कॉलेज मार्ग ब्यावर पर स्थिति निजी अचल सम्पत्ति आबादी भूखण्ड संख्या 17 होना अंकित किया है। इसी प्रकार बेचाननामा दिनांक 23 अप्रैल 1988 में विक्रेता श्री रामकिशोर व क्रेता श्री शिवरतन भूतडा ने गणपति कॉलोनी ब्यावर की आबादी में स्थित का एक प्लॉट नम्बर 13 होना अंकित किया है। इसी प्रकार बेचाननामा दिनांक 26 अक्टूबर 2007 में विक्रेता श्रीमती लीलादेवी व क्रेता श्रीमती गायत्री कुमावत ने उक्त वादग्रस्त प्राचीन सर्वे नं. 754 व 758 वर्तमान सर्वे नं. 885 नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति भू सम्पदा म्यू.नं. 8/533 में आवासीय कॉलोनी होना अंकित किया है। तथा इसी प्रकार बेचाननामा दिनांक 26 अक्टूबर 2007 जिसमें विक्रेता श्रीमती लीलादेवी, श्रीमती संगीता, श्रीमती सरिता व क्रेता श्री रामप्रसाद कुमावत ने भी उक्त वादग्रस्त प्राचीन सर्वे नं. 754 व 758 वर्तमान सर्वे नं. 885 नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति भू सम्पदा म्यू.नं. 8/533 में आवासीय कॉलोनी होना अंकित किया है। उक्त समस्त बेचाननामों में वादग्रस्त आराजियात को निजी सम्पत्ति व नगर परिषद के अधीन तथा आवासीय कॉलोनी होना वर्णित है। इसी के साथ वादग्रस्त साबिक खसरा संख्या 754 व 758 जिसके कि हाल खसरा संख्या 883, 884, 885 व 887 बने हैं जिसे राजस्व अभिलेखों में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के नाम को हटाकर/निरस्त कर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने एवं रास्ते का अनुतोष चाहा गया है जो कि करेक्शन ऑफ ऐन्ट्रीज की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त दस्तावेजात् में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि भी नहीं पाई गई है । उक्त

.....लगातार

(जसवीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

घोषणात्मक वाद है क्योंकि प्रार्थी स्वयं को खातेदार घोषित करवाते हुए तथा राजस्व अभिलेखों में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने एवं रास्ते के सुखाचार (easement of right of way) का अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष दिया जाना विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार घोषणात्मक धाराओं में ही संभव है तथा घोषणात्मक धाराओं में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बनना नहीं पाया जाता है क्योंकि उक्त भूमियां नगर परिषद ब्यावर के क्षेत्राधीन आवासीय कॉलोनी होना अंकित है। यह प्रस्तुत प्रकरण विधिक प्रावधानों के तहत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के परव्यूव में नहीं आता है। किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि व करेक्शन ऑफ ऐन्ट्री का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 01-05-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आईए एस
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 10:14:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: